

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

कार्यवृत्त

दिनांक 30 अक्टूबर, 2018 को सायं 04:30 बजे विश्वविद्यालय परिसर स्थित सेण्टर फॉर एकेडमिक्स भवन में सम्पन्न हुई कार्य परिषद की अति आवश्यक बैठक की कार्यवाही :-

बैठक में निम्नांकित सदस्यगण उपस्थित हुये :-

1. प्रो० नीलिमा गुप्ता, कुलपति, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर	अध्यक्षा
2. प्रो० संजय कुमार श्रीवास्तव, आचार्य, आई.बी.एम., सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर	सदस्य
3. प्रो० मुकेश रंगा, आचार्य, आई.बी.एम., सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर	सदस्य
4. प्रो० संजय कुमार स्वर्णकार, आचार्य, अंग्रेजी विभाग, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर	सदस्य
5. डॉ० सुधीर कुमार अवस्थी, सह-आचार्य, जीवन विज्ञान विभाग, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर	सदस्य
6. डॉ० एन० कौ० बाजपेई, सह-आचार्य, वाणिज्य विभाग, डॉ.ए.वी., कालेज, कानपुर	सदस्य
7. डॉ० अंशु यादव, सह-आचार्या, आई.बी.एम., सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर	सदस्य
8. डॉ० मुनेश कुमार, सह-आचार्य, शिक्षा विभाग, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर	सदस्य
9. श्री धीरेन्द्र कुमार तिवारी, वित्त अधिकारी, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर	विशेष आमत्रित सदस्य
10. डॉ० विनोद कुमार सिंह, कुलसचिव / वित्त अधिकारी, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर	सदस्य

सर्वप्रथम कुलसचिव ने कार्य परिषद के उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया तथा कार्यकाल समाप्त कर चुके सदस्य डॉ० आर०क० गुप्ता एवं डॉ० शकील अहमद को कार्य परिषद में उनके योगदान के लिये धन्यवाद ज्ञापित करते हुये बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की।

मद सं०-१: कार्य परिषद की विगत बैठक दिनांक 06.09.2018 की कार्यवाही की पुष्टि पर विचार करना।

परिषद ने दिनांक 06.09.2018 की अपनी बैठक की कार्यवाही की सर्वसम्मति से पुष्टि की।

मद सं०-२: सम्बद्धता समिति (मेडिकल प्रकरण) की बैठक दिनांक 12.10.2018 की कार्यवाही के अनुमोदन पर विचार।

परिषद ने सम्बद्धता समिति की बैठक दिनांक 12.10.2018 में लिए गए निर्णयों पर अनुमोदन प्रदान किया तथा तदानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही के लिए स्वीकृति प्रदान की।

मद सं०-३: शिक्षकों को 7वें वेतनमान की संस्तुति को लागू किये जाने पर विचार।

परिषद ने सर्व सम्मति से शिक्षकों को 7वें वेतनमान की संस्तुति को लागू किये जाने का निर्णय लिया तथा अग्रेत्तर कार्यवाही के लिए स्वीकृति प्रदान की।

मद सं०-४: शासन के पत्र संख्या: 772 / सत्तर-१-२०१८-१६(१२३) / २०१५ दिनांक १९ सितम्बर, २०१८ के क्रम में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों के प्रथम परिनियमों में अनानुदानित/स्ववित्तपोषित अशासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्य की अर्हताओं में संशोधन के सम्बन्ध में विचार।

परिषद ने शासन के पत्र संख्या: 772 / सत्तर-१-२०१८-१६(१२३) / २०१५ दिनांक १९ सितम्बर, २०१८ के क्रम में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों के प्रथम परिनियमों में अनानुदानित/स्ववित्तपोषित अशासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्य की अर्हताओं में संशोधन को सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया तथा तदानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही की अनुमति प्रदान की।

मद सं०-५: विश्वविद्यालय में लिपिकीय संवर्ग की सेवा नियमावली एवं तदनुसार पदों के पुर्नगठन हेतु शासनादेश संख्या: वी०के०नि० (प्रकोष्ठ)१८९ / दस-२०१४-११-२०१३, दिनांक २२ सितम्बर, २०१४ को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में विचार।

परिषद ने सर्व सम्मति से विश्वविद्यालय में लिपिकीय संवर्ग की सेवा नियमावली एवं तदनुसार पदों के पुर्नगठन हेतु शासनादेश संख्या: वी०के०नि० (प्रकोष्ठ)१८९ / दस-२०१४-११-२०१३ दिनांक २२ सितम्बर, २०१४ को अंगीकृत किये जाने का निर्णय लिया तथा तदानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही की अनुमति प्रदान की।

अध्यक्ष महोदया की अनुमति से अन्य बिन्दु पर विचार करना।

१. परिषद द्वारा वित्त समिति की बैठक दिनांक ३०.१०.२०१८ पर चर्चा की गई तथा तदोपरान्त सर्व सम्मिति से अनुमेदन प्रदान किया एवं तदनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही की अनुमति प्रदान की।

अन्त में अध्यक्ष महोदया द्वारा सभी उपरिथित सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।

३०.१०.२०१८

डॉ०(विनोद कुमार सिंह)
कुल सचिव/सचिव

३०.१०.१८

प्रो०(नीलिमा गुप्ता)
कुलपति/अध्यक्ष